बोर्ड के उद्दश्य एवं कार्य

1. प्रदेश में मछलीपालन हतु जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियां, उपलब्ध संसाधनों को दृश्टिगत रखते हुए, मत्स्योद्योग विकास एवं अधिक लाभप्रद बनाने के लिये सुझाव देना ।
2. मछली पालन एवं उससे जुड़े कार्यों के विकास के लिये स्थानीय परिस्थितियों के अनुकुल नीतियों/कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना।
3. मछली पालन एवं अन्य संबंध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवे" । बढ़ाने हेतु ऋण/साख की वर्तमान व्यवस्था एवं इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिये सुझाव देना।
4. सूखा एवं अल्प वर्शा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मछली पालन की गतिविधियों एवं संरक्षण के लिये उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों म लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमो की समेकित कर ग्रामोण क्षेत्रों में मछली पालन द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के सुझाव देना ।
5. बाढ़ एवं जलाप्लावन से निरतंर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्या निवारण हेतु सुझाव देना ।
6. मछली जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, अतः इसके भंडारण एवं मूल्य संवर्धन तथा वर्तमान विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि का विकासोन्मुखी बनाने के लिये सुझाव /अनु" ांसा देना ।
7. मछली पालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने एवं ज्ञान कौ" ाल उन्नयन प्रोद्योगोकीय एवं ज्ञान कौ" ाल ,उन्नयन, प्रोद्योगिकी एवं विपणन स" ाक्तीकरण के लिये उपायों की अनु" ांसा देना ।
8. ि" ाक्षित युवाओं को आकर्शित करने के लिये उपाय सुझाना, तालाब/जला" ायों में प्रतिपूरक आहार को प्रोत्साहन और मिश्रित खेती अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देने एवं मत्स्य पालन के प्रोद्योगिकी उन्न्यन हेतु पद्धतियों की अनु" ांसा देना।
9. स्थानोय समस्याओं/आव" यकताओं के निराकरण हेतु अनुसंधान प्रारंभ करने कृशकों एवं प्रसार कायकर्ताओं के मध्य बेहतर सामन्जस्य के उपाय/व्यवस्था सुझाना ।
10. मछली पालन एवं अन्य संबंध कार्यों में आदानों की आबाद आपूर्ति व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुझाव देना ।
11. ग्रामोण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मछली पालन की उपयोगिता एवं आने वाली समस्या के निराकरण के उपाय सुझाना ।
12. मछली पालन के अंतर्गत आव" यक आदान वितरण कृशि मत्स्य स्नातकों के उपयोग पर सुझाव देना।
13. व" ानुगत रूप से लगे मछली पालकों का एवं उनके सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्या का निराकरण हेतु सुझाव देना ।
14. मछुआ कल्याण बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव देना ।
15. राज्य भाासन द्वारा समय–समय पर निर्दे" ित कार्यों का निर्वहन करना ।